

प्रेस नोट

अंतर्देशीय 02शातिर चोर गिरफ्तार , नगदी व जेवरात बरामद थाना कैण्ट जनपद

गोरखपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में हो रही लगातार चाभी ताला बनाने के नाम पर आलमारी का लाकर तोड़कर रुपये व जेवरातों की जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट को चोरी की घटनाएं जिनके संबंध में थाने पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं, के अनावरण व बरामदगी हेतु तथा भविष्य में चोरी की घटनाओं को रोकने व अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लगाया गया था। जिसके क्रम में थाना कैण्ट की पुलिस द्वारा दिनांक 14.10.2019 को प्रातः 03.30 बजे चार फाटक पुल के पास दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर नगदी व जेवरात, ताला बनाने के उपकरण व चाभियां बरामद की गयीं। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 947/19 धारा 41/ 102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:- दिनांक 14.10.2019 को प्रातः 03.30 बजे चार फाटक पुल के पास

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. नायक सिंह बरनाला पुत्र कल्याण सिंह निवासी पलसूत थाना पलसूत जनपद राजपुर मध्यप्रदेश
2. बलवीर सिंह पुत्र सुदान सिंह निवासी एकता नगर नलवा रोड नन्दूरबार थाना उपनगर जनपद नन्दूरबार महाराष्ट्र

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 947/19 धारा 41/ 102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण व पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. दिनांक 09/10/2019 को सुबह 09 से 10 के बीच गोरखनाथ मन्दिर के पास मोहल्ला चकसा हुसैन में एक मकान से अलमारी तोड़कर चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 374/19 धारा 380 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
2. दिनांक 07/10/19 को समय दिन में 03 बजे के करीब है किये थे वह मोहदीपुर में सिनेमा हाले के सामने गली में एक घर से अलमारी के ताला बनाने के समय चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 945/19 धारा 380 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

3. दिनांक 11/10/19 को महेवा फलमण्डी में अलमारी का लाक बनाने के बहाने 87500/- रूपया चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 11/19 धारा 379/420 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण -

पायजेब सफेद धातु , एक जोड़ी कंगन सफेद धातु , एक जोड़ी बच्चो के हाथ की चूड़ी सफेद धातु 04 अदद , 01 अदद चूड़ी पीली धातु सफेद धातु , अँगुठी 09 अदद 01 अदद कमरफुल, पीली धातु 01 अदद पायल पतली सफेद धातु , 01 आदद ताबीज सफेद धातु , 01 अदद पायजेब सफेद धातु , हाथघडी 02 अदद हथौडी , 01 अदद छैनी, 01 अदद लोहे का गुटका , एक अदद पेचकस , एक अदद पिलास , 01 अदद अलमारी का कुण्डा , एक अदद रेत्ती, 01 अदद चाभी पकड , 17 अदद अलमारी की चाभी बिना बनी हुई, 43 अदद बिना बनी हुईताले की चाभी , 22 अदद बिना बनी हुई गाडी की चाभी व नगदी 6250 रूपये।

अपराध का तरीका –

फेरी कर घरों में जाकर ताला चाभी बनाने के नाम पर आलमारी का लाकर तोड़कर नकदी व जेवर की चोरी कर लेना ।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 374/19 धारा 380 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0 945/19 धारा 380 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 11/19 धारा 379/420 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0 947/19 धारा 41/ 102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सर्वेश कुमार राय प्रभारी चौकी मोहदीपुर थाना कैण्ट गोरखपुर ।
2. उ0नि0 मदन मोहन मिश्रा चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
3. का0 प्रमोद कुमार बिन्द चौकी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
4. का0 रोशन बिन्द चौकी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
5. का0 अजीत यादव चौकी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
6. का0 कमलेश यादव चौकी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

